



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253572
CG-DL-E-05042024-253572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946

No. 1541]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

सं. 03/2023

विषय: वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।

का.आ.1624(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूँ का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट्स और रिवर सैंड की निम्नलिखित मात्राओं को निर्यात करने की अनुमति प्रदान करती है:

क्रम सं.	वस्तुएं	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमत की जाने वाली मात्रा
1.	अंडे	नम्बर	427,536,904.20
2.	आलू	मीट्रिक टन	21,513.08
3.	प्याज	मीट्रिक टन	35,749.13
4.	चावल	मीट्रिक टन	124,218.36

5.	गेहूं का आटा	मीट्रिक टन	109,162.96
6.	चीनी	मीट्रिक टन	64,494.33
7.	दल	मीट्रिक टन	224.48
8.	स्टोन एग्रीगेट्स	मीट्रिक टन	1,000,000.00
9.	रिवर सैंड	मीट्रिक टन	1,000,000.00

2. वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को किसी वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

3. रिवर सैंड और स्टोन एग्रीगेट्स की उपरोक्त मात्रा के निर्यात के लिए कंपेक्सल यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ताओं/एक्सट्रेक्टर्स ने उपयुक्त मंजूरी प्राप्त कर ली है और तटीय विनियमन जोन क्षेत्र में रेत का खनन नहीं किया गया है, जो तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के तहत निषिद्ध है।

4. उपर्युक्त के अलावा, रिवर सैंड और स्टोन एग्रीगेट्स के निर्यात की अनुमति निर्यातक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, जहां से रिवर सैंड प्राप्त की जाती है के नामित नोडल प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधीन होगी। यह अनुमति 'रिवर सैंड' और 'स्टोन एग्रीगेट्स' के खनन से संबंधित किसी भी राज्य विधायन/न्यायिक आदेशों के भी अधीन होगी।

5. इस अधिसूचना का प्रभाव:

वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट्स और रिवर सैंड के निर्यात की अनुमति उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका में इंगित मात्रा के अनुसार प्रदान की गई है। मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को निर्यात संबंधी किसी वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

[फा. सं. 01/91/171/59/एम20/ईसी/ई-20816]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2024

No. 03/2023

Subject: Supply of essential commodities to the Republic of Maldives during 2024-25.

S.O. 1624(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992), as amended, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby allows export of the following quantities of Eggs, Potatoes, Onions, Rice, Wheat Flour, Sugar, Dal, Stone Aggregate and River Sand to the Republic of Maldives during 2024-25, under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives :-

S. No.	Commodity	Unit	Quantity to be allowed for FY 2024-25
1.	Eggs	Nos.	427,536,904.20
2.	Potatoes	MT	21,513.08
3.	Onions	MT	35,749.13
4.	Rice	MT	124,218.36
5.	Wheat Flour	MT	109,162.96
6.	Sugar	MT	64,494.33

7.	Dal	MT	224.48
8.	Stone Aggregate	MT	1,000,000.00
9.	River Sand	MT	1,000,000.00

2. Export of the above items to the Republic of Maldives shall be exempted from any existing or future restriction/prohibition during 2024-25.

3. For the export of above quantity of River Sand and Stone Aggregate, CAPEXIL shall ensure that the suppliers/extractors have obtained appropriate clearances and mining of the sand is not undertaken in the Coastal Regulation Zone Area, which is prohibited under the Coastal Regulation Zone notification.

4. In addition to above, export of River Sand and Stone Aggregate will be allowed subject to the exporter obtaining necessary environmental clearances/No Objection Certificate from the designated nodal authority of respective State Governments from where the River Sand is obtained. This permission will also be subject to any State legislation/judicial orders relating to mining of 'River Sand' and 'Stone Aggregate'.

5. **Effect of this notification:**

Export of Eggs, Potatoes, Onions, Rice, Wheat Flour, Sugar, Dal, Stone Aggregate and River Sand have been permitted to the Republic of Maldives under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives during 2024-25 as per the quantities indicated in the Table at Para 1 above. The export of above items to Republic of Maldives will be exempted from any existing or future restriction/prohibition on export.

[F. No. 01/91/171/59/AM20/EC/E-20816]]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.